प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के., भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं 246/22 दिनांक 19/6/2022

2.–(1) अधिनियम– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा– 7
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धाराये.....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....356.....समय.....12.05 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन शनिवार, दिनांक 18.06.2022, समय 09.56 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 17.06.2022 समय 02.40 पी.एम

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– कालिन्दी विहार, कांकरोली
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा– पुर्व बफासला 02 किलोमीटर
(ब) पता..... कालिन्दी विहार, कांकरोली पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री प्रहलाद नारायण जोशी
(ब).–पिता का नाम :– श्री नारायण लाल जोशी
(स).–जन्म तिथि :– उम्र– 53 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.
(र).–व्यवसायः–
(ल).–पता :– डिप्टी, पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....
1. श्री राजेन्द्र लालस पुत्र श्री चण्डीदान लालस जाति चारण उम्र 35 साल निवासी बी–440, मोहननगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल किरायेदार कालिन्दी विहार कॉलोनी पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द हाल सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) खनिज विभाग राजसमन्द।

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

50,000/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 50,000/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2022 समय 2. 40 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी पुत्र श्री नारायणलाल जोशी उम्र 53 साल जाति पालीवाल निवासी डिप्टी, पुलिस थाना राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द ने उपस्थित चौकी हो एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मैं प्रार्थी मूल रूप से गांव डिप्टी त. राजसमन्द जि. राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरे व मेरे छोटा भाई गोविन्द नारायण जोशी के गिट्टी क्रेसर का प्लांट हैं। हम दोनों भाईयों का गिट्टी क्रेसर का प्लांट (अलग अलग) टुकडा खुर्द, व डिप्टी में स्थित हैं। कल दि. 16.06.2022 को मेरे, टुकडा खुर्द स्थित प्लांट पर श्री राजेन्द्र लालस उर्फ ललन हाल सहायक अभियन्ता (सर्तकता) मांईनिग विभाग राजसमन्द मेरे प्लांट पर आये थे और मेरे बच्चे अखिल को आफिस से बाहर निकालकर आफिस चैक करने की धमकी दी और मेरे आफिस में पडी कांटा परची ले जाते हुए श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन ने मेरे बच्चे को कहा तेरे पिताजी को कह देना कि मुझसे आकर मिल लेवे और जाते जाते श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन ने मेरे बच्चे अखिल को एक लाख रूपये देने के लिए कहा और कहा कि एक लाख रूपये नहीं दिये तो माईन्स व कांटा सारा जब्त कर दुंगा। इस पर मैने, आज दिनांक 17.06.2022 को मैने अपने मोबाइल फोन से श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन के मोबाइल नम्बर 9549963117 पर कॉल किया तो उन्होने मुझे अपने घर पर मिलने के लिए कहा। मैं श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये नही देना चाहता हुँ और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री राजेन्द्र लालस से कोई आपसी लेन देन बकाया नही है। और नही कोई आपसी रंजिस है। अतः कानूनी कारवाई करावे"। उक्त रिपोर्ट पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो उसने बताया कि संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन ने पूर्व में भी मेरे उपर दबाव डालकर माईनिंग बंद करने की धमकी देते हुए मुझसे 1,00,000 रूपये की रिश्वत प्राप्त की थी और अब भी मेरे गिट्टी क्रेसर प्लांट/माईनिंग को सुचारू रूप से चलने देने व निरीक्षण के दौरान रॉयल्टी, कांटा पर्ची को लेकर नाजायज परेशान नहीं करने एवं गिट्टी के डम्पर नही रोकने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं। अगर मैने संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन को 1,00,000 रूपये रिश्वत नहीं दी तो वह फिर मेरे प्लांट पर आकर अनावश्यक परेशान करेगा और माईन्स व कांटा जब्त कर लेगा और उसने रिश्वत लेन–देन वार्ता हेतु मुझे उसके कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित मकान पर बुलाया हैं"। मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड निकलवाकर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी को डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर श्री राजेन्द्र लालस उर्फ ललन हाल सहायक अभियन्ता (सर्तकता) मांईनिग विभाग राजसमन्द से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए तथा कार्यालय पर पदस्थापित कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को बुलाकर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण से आपस में परिचय करा परिवादी व कानि0 जितेन्द्र कुमार नं. 262 के मोबाईल नं. आपस में साझा करवाये। इसके पश्चात रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी को सुपुर्द कर परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से तथा कानि0 जितेन्द्र कुमार नं. 262 को अपनी निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन के कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित मकान के लिए साथ–साथ रवाना किया तथा कुछ समय के पश्चात श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी उपस्थित कार्यालय आये तथा जितेन्द्र कुमार कानि0 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि "मैं व परिवादी कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन के कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित मकान से थोडा पहले रूक कर परिवादी को संदिग्ध के मकान की तरफ रवाना किया और मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए संदिग्ध के मकान के पास ही परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। इसके पश्चात करीब 15–20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास उपस्थित आया। मौके पर लोगों की आवाजाही होने की वजह से परिवादी व मैं अपनी–अपनी निजि मोटरसाईकिल से मुकिम स्थल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जहां पर परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिया जिसे मेरे द्वारा बंद

किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा''। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि ''मैं कानि0 जितेन्द्र कुमार को संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन के कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित मकान के पास ही छोडकर संदिग्ध के मकान के अन्दर गया जहां पर संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन उपस्थित मिले। जहां पर संदिग्ध ने मेरे गिट्टी केसर प्लांट/माईनिंग को सुचारू रूप से चलने देने व निरीक्षण के दौरान रॉयल्टी, कांटा पर्ची को लेकर नाजायज परेशान नहीं करने एवं गिट्टी के डम्पर नही रोकने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि का फिफ्टी परसेन्ट के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हो उक्त राशि की व्यवस्था आज शाम तक करने को कहा एवं शेष राशि 50,000 रूपये 25-25 परसेन्ट के हिसाब से दो किश्तों में 1–2 तारिख तक देने का कहा'' परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि ''संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन ने पूर्व में मुझसे 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर भी अपनी सहमति प्रकट की हैं। इसके पश्चात संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन के मकान से रवाना हो कानि0 जितेन्द्र कुमार के पास पहुंचा जहां से हम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये और मैने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालु हालात में कानि0 जितेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया जिन्होंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा''। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। चूंकि संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 50,000 रूपये शाम तक ही देने का कहा हैं इस हेतु परिवादी को रिश्वत राशि 50,000 रूपये की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने कहा कि मैं थोडी ही देर में रिश्वत राशि 50,000 रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित होता हुं। जिस पर परिवादी को रूखसत किया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय वाणिज्य कर विभाग राजसमन्द से तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह तलब किये तथा परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत राशि 50,000 रूपये की व्यवस्था कर लेकर आया तथा कुछ समय के पश्चात दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हें मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री केशर सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 46 वर्ष निवासी F-64, सेक्टर नं. 14, तहसील गिर्वा, पुलिस थाना गोवर्धन विलास, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, राजसमन्द एवं दुसरे ने श्री फुलचन्द जाखड पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाखड, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी सारोठिया, तहसील सुजानगढ, पुलिस थाना सुजानगढ, जिला चुरू हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, राजसमन्द होना बताया। उक्त स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी से आपस में परिचय करवा कर दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनो ने बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कार्यालय में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत राशि मांग संबंधी परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी एवं संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस उर्फ ललन हाल सहायक अभियन्ता (सर्तकता) मांईनिग विभाग राजसमन्द के मध्य दिनांक 17.06.2022 को हुई वार्तालाप, जो कि परिवादी प्रहलाद नारायण जोशी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को एसीबी कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 से अलग से मूर्तिब करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से ही ब्यूरो के कम्प्युटर से उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार कराई गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री राजेन्द्र लालस उर्फ ललन की होने की पुष्टि की तथा मूल सीडी पर परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा मूल सीडी एवं डब सीडी को कार्यालय के

मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई। इसके उपरांत समय 07.30 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी पुत्र श्री नारायणलाल जोशी उम्र 53 साल जाति पालीवाल निवासी डिप्टी, पुलिस थाना राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 2–2 हजार रूपये के 03 नोट राशि 6,000/–रूपये एवं 500–500 रूपये के 88 नोट राशि 44,000/–रूपये कुल राशि 50,000/–रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नम्बर अंकित किये जाकर उपरोक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवा पुराना अखबार बिछा कर उस पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री फुलचन्द जाखड कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर अपने मन्तव्य से अवगत कराया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनके हाथो की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री किशनाराम कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवा कर उस अखबार को भी जलवा कर नष्ट कराया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री किशनाराम कानि0 से कार्यालय के मालखाना में रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों से परिवादी का परिचय करा परिवादी को हिदायत देकर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर उसके मोबाईल फोन में सुरक्षित कराये गये। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर कार्यालय में रखवाये जाकर कार्यालय से नई कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। उसके बाद गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत देकर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर हिदायत दे ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा फर्द मुर्तिब की जाकर हाजरीन के हस्ताक्षर कराये तथा इसके उपरांत परिवादी द्वारा अपने मोबाईल से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु कॉल किया जिस पर संदिग्ध आरोपी ने फोन कॉल अटेण्ड नहीं किया। जिसके प्रत्युत्तर में कुछ समय बाद संदिग्ध आरोपी ने मोबाईल से पुनः परिवादी के मोबाईल पर फोन कॉल किया तो परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी का फोन कॉल आ रहा हैं। जिस पर परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर फोन कॉल अटेण्ड कर लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो संदिग्ध आरोपी ने किसी कार्य से बाहर जाने व इस समय घर पर नहीं मिलने का कहा। संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को कल प्रातः 10 बजे से पहले उसके निवास पर मिलने का कहा। संदिग्ध आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड कराया गया। संदिग्ध आरोपी के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर समय करीब 08.14 पीएम हुई रिश्वत राशि लेनदेन संबंधी वार्तालाप, जो कि परिवादी के मोबाईल फोन को हैण्ड फ्री कर वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया उस डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को एसीबी कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री किशनाराम कानि. से अलग से मूर्तिब करा कर फर्द

ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री किशनाराम कानि. द्वारा ब्यूरो के कम्प्युटर से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सीडी तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र लालस उर्फ ललन की होने की पुष्टि की तथा मूल सीडी को नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट कर मालखाना में रखवाई गई तथा परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्तानुसार आज अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से परिवादी से रिश्वत राशि कुल 50000/–रूपये श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. 117 को दिलवा कर रिश्वत राशि व डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.06.2022 समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान मुताबिक हिदायत के उपस्थित कार्यालय आये तथा समय 09.25 ए.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि अभी राजेन्द्र लालस ने मुझसे बात करने के लिये कहा था। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को उसके मोबाईल फोन से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर कॉल करा कानि. किशनाराम से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु करा कर परिवादी व संदिग्ध आरोपी राजेन्द्र लालस के मध्य हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कराया गया। जिसमें आरोपी ने परिवादी को अपने घर पर मिलने हेतु कहा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अग्रिम ट्रेप के आयोजन हेतु ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से कानि. किशनाराम नं. 404 से रिश्वती राशि 50000/–रूपये फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई मंगा कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवायी तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी को सुपूर्द कर हिदायत की कि वक्त रिश्वती राशि लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात समय 09.40 ए.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री प्रहलादनारायण जोशी को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के उसकी निजी मोटरसाइकिल से व साथ ही ब्यूरो टीम के कानि. जितेन्द्र नं. 262 व श्रीमती तारा महीला कानि. नं. 259 को निजी मोटरसाइकिल से तथा कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 व स्वतंत्र गवाह श्री केशर सिंह को भी निजी मोटरसाइकिल से संदिग्ध आरोपी के निवास स्थान कालिन्दी विहार की ओर रवाना करते हुये ब्यूरो टीम के सदस्यगणों को हिदायत की कि रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त अपनी–अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के रिश्वत राशि के देने पर पुर्व निर्धारित ईशारा करने का इंतजार करें तथा इसके पश्चात पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह मय हैड कानि. गोविन्दनारायण नं. 117, स्वतंत्र गवाह श्री फुलचन्द जाखड मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूबी 0338 के एसीबी कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के किराये के मकान से थोडा पहले रूक कर गाडी को साईड में खडा कर मय हमराहीयान के अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके पश्चात परिवादी ने कानि0 जितेन्द्र कुमार नं. 262 के मोबाईल पर फोन कर रिश्वत राशि आरोपी श्री राजेन्द्र लालस को देना बताया। इस पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नं. 262 ने अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी को देना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि0 जितेन्द्र कुमार को मय महिला कानि0 श्रीमती तारा के तुरन्त आरोपी के किराये के मकान में प्रवेश करने हेतु निदेर्शित कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के गाडी से रवाना होकर आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के किराये के मकान में प्रवेश कर प्रथम मंजिला पर स्थित कमरे में पहुंचे। जहां पर ब्यूरो जाब्ता के कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 व श्रीमती तारा महिला कानि नं. 259 व परिवादी के अलावा एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। कानि0 जितेन्द्र कुमार ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जो बंद था जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी ने पास में खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री राजेन्द्र लालस हैं जिनको मैंने अभी–अभी 50,000 रूपये रिश्वत राशि दी हैं। जिन्होंने रिश्वत राशि अपने स्वयं के हाथों से ना लेकर रिश्वत राशि टेबल पर बिछे हुए टेबलपोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखने के लिये कहा जिसे मैने आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के बताये अनुसार रिश्वत राशि 50,000 रूपये टेबल पर बिछे हुए टेबलपोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखे हैं जो अभी भी वहीं पर पडी हुई हैं।

जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र लालस पुत्र श्री चण्डीदान लालस जाति चारण उम्र 35 साल निवासी बी–440, मोहननगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल किरायेदार कालिन्दी विहार कॉलोनी पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द हाल सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री राजेन्द्र लालस से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व चुप रहा तथा कुछ समय बाद बताया कि "मैंने श्री प्रहलाद नारायण जोशी से रिश्वत राशि नहीं ली हैं। यह राशि प्रहलाद नारायण जोशी ने स्वयं टेबल पर बिछे हुए टेबलपोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखी हैं। मैने श्री प्रहलाद नारायण से रिश्वत की मांग नहीं की हैं और ना ही मैंने उक्त राशि टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखने के लिए कहा हैं।" इस पर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री राजेन्द्र लालस झूठ बोल रहे हैं, यह दिनांक 16.06.2022 को मेरे टुकडा खुर्द स्थित प्लांट पर आये थे जहां पर मेरे लडके अखिल से मिले थे। इन्होने मेरे लडके अखिल को आफिस से बाहर निकालकर आफिस चैक करने की धमकी दी और मेरे आफिस में पडी कांटा परची ले जाते हुए श्री राजेन्द्र लालस ने मेरे लडके को कहा तेरे पिताजी को कह देना कि मुझसे आकर मिल लेवे और और जाते जाते श्री राजेन्द्र लालस (उर्फ) ललन ने मेरे लडके अखिल को एक लाख रूपये देने के लिए कहा और कहा कि एक लाख रूपये नहीं दिये तो माईन्स व कांटा सारा जब्त कर दुंगा। इस पर मैंने कल दिनांक 17.06.2022 को आरोपी श्री राजेन्द्र लालस से जरिए दूरभाष वार्ता की तो इन्होंने मुझे अपने कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित मकान पर बुलाया और मैं इनके मकान पर गया तो इन्होंने मेरे गिट्टी केसर प्लांट/माईनिंग को सुचारू रूप से चलने देने व निरीक्षण के दौरान रॉयल्टी, कांटा पर्ची को लेकर नाजायज परेशान नहीं करने एवं गिट्टी के डम्पर नही रोकने की एवज में रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये का फिफ्टी परसेन्ट के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हुए। आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के बताये अनुसार आज मैने इनको रिश्वत राशि 50,000 रूपये इनके किराये के मकान में आकर दी तो इन्होंने रिश्वत राशि स्वयं के हाथों से ना लेकर टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखने के लिए कहा जो अभी भी वहीं पर पडी हैं।" ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 को आरोपी श्री राजेन्द्र लालस व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो आरोपी ने एक आवाज स्वयं की होना बताया एवं श्री प्रहलाद नारायण जोशी व स्वयं के बीच वार्तालाप होना ताईद किया। आरोपी श्री राजेन्द्र लालस मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में सुनने के पश्चात निरूत्तर हो गया। आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के कहे अनुसार परिवादी श्री प्रहलाद नारायण द्वारा रिश्वत राशि टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखी थी जिसे स्वतंत्र गवाह श्री फूलचन्द जाखड से उठवाई जाकर उनके पास सुरक्षित रखवाई गई। चूंकि आरोपी श्री राजेन्द्र लालस द्वारा रिश्वत राशि स्वयं अपने हाथों से ना लेकर टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखवाई हैं इस हेतु रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण जोशी नं. 117 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उक्त घोल को दोनों गवाहान के समक्ष उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थल टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) को उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबाया तो घोल का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखा दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क TP–1 व TP–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात उस टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर जहां रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान पर मार्कर पेन से गोला कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर कराकर एक थैली में रखकर सीलचीट कर उस पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क "TP" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री फूलचन्द जाखड के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि को दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 2000–2000 के कुल 03 नोट राशि 6,000 रूपये एवं 500–500 रूपये के 88 नोट राशि

44,000 रूपये कुल राशि 50,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित किराये के मकान के प्रथम तल पर स्थित कमरे की खाना तलाशी समय 01.20 पी.एम. पर प्रारम्भ की गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के किराये के मकान के कमरे में बनी लकडी की अलमारी में एक लौहे की चोकोर डिब्बी में गहरे हरे रंग की पत्तियों वाला संदिग्ध मादक पदार्थ मिला। इसके साथ ही उक्त संदिग्ध मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए काम में आने वाली रोलिंग पेपर किंग ऑन कम्पनी के मिले। चूंकि उक्त संदिग्ध मादक पदार्थ के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार स्थानीय पुलिस को हैं। अतः इस सम्बन्ध में स्थानीय थानाधिकारी थाना कांकरोली को सूचित किया गया जो मौके पर उपस्थित आये। जिन्हे मौके पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त संदिग्ध मादक पदार्थ सुपुर्द करते हुए इस सम्बन्ध में अग्रिम कानूनी कार्यवाही करने व की गई कार्यवाही से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात आरोपी के किराये के मकान की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई तथा मोके पर ही परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर 2.55 पी0एम पर बरामदगी की कार्यवाही की जाकर उक्त समस्त बरामदगी की कार्यवाही जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर आरोपी के किराये के मकान से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को उसकी निजि मो.सा. से व साथ ही ब्यूरो टीम के कानि0 जितेन्द्र नम्बर 262 व श्रीमती तारा महीला कानि नं. 259 को निजी मो.सा. से तथा कानि0 श्री प्रदीपसिंह नं. 162 व स्वतंत्र गवाह श्री केशरसिंह को निजि मोटर साईकिल से एसीबी कार्यालय राजसमन्द की ओर रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हैड कानि नं. 117, आरोपी श्री राजेन्द्र लालस मय स्वतंत्र गवाह श्री फूलचन्द जाखड मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय जब्तशुदा रिश्वती राशि व मालखाना आर्टीकल्स मय सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूबी 0338 के रवाना हो एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुंचा तथा कुछ समय में ही परिवादी व ब्यूरो जाप्ता व स्वतंत्र गवाह श्री केशर सिंह उपस्थित आये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही में बरामदशुदा रिश्वती राशि कुल 50,000/--रूपये सिलचीटशुदा व मालखाना आर्टीकल्स को श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. 117 को संभलाये। तत्पश्चात परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई लेन--देन संबंधित द्वितीय वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री किशनाराम कानि. से मूर्तिब करवा कर ब्यूरो के कम्प्युटर से उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. तैयार करा मूल सी.डी. को नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा दिनांक 18.06.2022 को ही परिवादी व आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन--देन वार्ता, जो कि परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। जिसे एसीबी कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट किशनाराम कानि. से पृथक से मूर्तिब करवा मूल एवं डब सीडी तैयार की गई। मूल सीडी को नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 17.06.2022 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व लेन--देन संबंधित मोबाईल वार्ता प्रथम व दिनांक 18.06.2022 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई लेन--देन संबंधित मोबाईल वार्ता द्वितीय तथा रिश्वती राशि लेन--देन वार्ता जिन्हें ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया था, को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान व आरोपी के समक्ष वजह सबूत जब्त किया गया जिसकी फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट कर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर फर्द जुदागाना मुर्तिब की गई तथा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार जरिये तेहरीर कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से जरिये तेहरीर पुलिस थाना राजनगर पर हवालात में

दाखिल कराया गया तथा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया तथा आरोपी श्री राजेन्द्र लालस को दिनांक 19.06.2022 को जरिये जे.सी. रिमाण्ड माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नं. 01, उदयपुर में पेश किया गया।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी पुत्र श्री नारायणलाल जोशी उम्र 53 साल जाति पालीवाल निवासी डिप्टी, पुलिस थाना राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द ने दिनांक 17.06.2022 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर नियमानुसार परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी के साथ कार्यालय के कानि0 जितेन्द्र कुमार 262 को भेजकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 18.06.2022 को ट्रेप का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र लालस हाल सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी के टुकडा खुर्द (राजसमन्द) स्थित उसके गिट्टी केसर प्लांट/माईनिंग को सुचारू रूप से चलने देने व निरीक्षण के दौरान रॉयल्टी, कांटा पर्ची को लेकर नाजायज परेशान नहीं करने एवं गिट्टी के डम्पर नही रोकने की एवज में रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये का फिफ्टी परसेन्ट के हिसाब से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हो उक्त राशि की व्यवस्था दिनांक 17.06.2022 को शाम तक कर अपने किराये के मकान पर लाकर देने की कहना एवं शैष राशि 50,000 रूपये 25–25 परसेन्ट के हिसाब से दो किश्तों में 1–2 तारिख तक देने की कहना तथा मांग अनुसार दिनांक 18.06.2022 को आरोपी श्री राजेन्द्र लालस द्वारा उसके कालिन्दी विहार कॉलोनी कांकरोली स्थित किराये के मकान पर परिवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी से रिश्वत राशि 50,000 रूपये स्वयं अपने हाथों से ना लेकर टेबल पर बिछे हुए टेबल पोश (टेबल पर बिछा हुआ कपडा) पर रखवाये जहां से 50,000/– रूपये रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी श्री राजेन्द्र लालस पुत्र श्री चण्डीदान लालस जाति चारण उम्र 35 साल निवासी बी–440, मोहननगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल किरायेदार कालिन्दी विहार कॉलोनी पुलिस थाना कांकारोली जिला राजसमन्द हाल सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार दिनांक 18.06.2022 को गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री राजेन्द्र लालस पुत्र श्री चण्डीदान लालस जाति चारण उम्र 35 साल निवासी बी–440, मोहननगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल किरायेदार कालिन्दी विहार कॉलोनी पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द हाल सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
प्रभारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र लालस, सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), खनिज विभाग, राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 246/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2166-70 दिनांक 19.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

19.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।